बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
–::संकल्प::–

शेखपुरा प्रखंड अंतर्गत वाजिदपुर कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य (योजना सं0–3/2008–09) रैयती जमीन पर कराये जाने संबंधी मामले में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले मो0 अनवर हुसैन, तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, बेतिया के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री हुसैन के पत्रांक 2116 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें मुख्यतः कहा गया कि प्रखंड शेखपुरा अंतर्गत वाजिदपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्माण कार्य का प्राक्कलन श्री शत्रुधन प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा के द्वारा तैयार किया गया था, जिसका संयुक्त रूप से कब्रिस्तान अवस्थित स्थल का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा दिया गया था, जिसमें जमीन से संबंधित खाता, खेसरा का कोई जिक्र नहीं था। जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के द्वारा भी अपने ज्ञापांक–279 दिनांक 10.05.2008 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। श्री हुसैन का कहना है कि उक्त योजना का मात्र तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा प्रदान की गयी है। योजना का कार्यान्वयन एवं कार्य अन्य लोगों के द्वारा कराया गया है।

3. श्री हुसैन से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी स्वीकृति देने के क्रम में श्री हुसैन द्वारा किये गये स्थल भौतिक निरीक्षण में सहायक अभियंता होने के नाते उनका यह दायित्व बनता था कि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व वे रैयती जमीन के संबंध में आश्वस्त हो लेते। इस प्रकार मो0 अनवर हुसैन तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, बेतिया का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

4. समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो0 अनवर हुसैन, तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा को दोषी पाया गया है तथा इनके विरूद्ध लघु दंड के रूप में दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 अनवर हुसैन, तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, बेतिया को निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/11/24

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–56/2020 2917 /पटना, दिनांकः– 20.11.24

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

20/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–56/2020 2917 /पटना, दिनांकः– 20.11.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–56/2020 2917 /पटना/दिनांकः– 20.11.24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मो0 अनवर हुसैन तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/24
संयुक्त सचिव